अब्दुल प्रेस, नया बाजार दिल्ली ।

भारतीय जनसंघ

का

चुनाव घोषणा-पत्र

[पंचम वार्षिक अधिवेशन द्वारा २९, ३०, ३१ दिसम्बर १९५३ को दिल्ली में स्वीकृत]

जनसंघ का चुनाव-चिह्न, "दीपक"

भारतीय जनसंघ का चुनाव-घोषणापत्र

१. भारत को स्वतंत्र हुए १० वर्ष होने आए, किन्तु जिन परिस्थितियों में स्वतंत्रता आई उनके दुष्परिणामों से देश अभी तक छुटकारा नहीं पा सका है। भारत का विभाजन एक भयंकर भूल सिद्ध हुई है। भारत की भूमि पर एक पृथक साम्प्रदायिक राज्य की स्थापना से न केवल अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि भारत की एकात्मता तथा सुरक्षा के लिए भी स्थायी संकट पैदा हो गया है।

२. कांग्रेस-कर्णधारों की सद्भावना तथा कांग्रेस शासन की तुष्टीकरण की नीति भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आक्रमणात्मक रवैये को बदलने में असफल रही है। पाकिस्तान भारत को अपना "एकमेव शत्रु" समझता है और उसने निबटने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक तैयारियां कर रखा है। जम्मू-कश्मीर के एक तिहाई भाग पर उसका अवैध कब्जा है और शेष को हथियाने के लिए वह सब कुछ करने पर उतारू है। पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं को योजनाबद्ध रीति से निर्वासित करने का क्रम, जो विभाजन के पूर्व से आरम्भ हुआ था, अब तक जारी है। भारत की आंतरिक शान्ति को भंग करने तथा तोड़-फोड़ मचाने के लिए जासूसों तथा भारत-स्थित पंचमांगियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

३. भारत को अति बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी नेता किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं यह संसार के निकृष्टतम साम्राज्यवादी देश पुर्तगाल के प्रति उनके बढ़ते हुए मैत्री-संबंधों से स्पष्ट है। गोआ आदि पुर्तगाली बस्तियों की स्वतंत्रता की न्यायोचित मांग का विरोध करके तथा भारत सरकार द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को विफल करने के लिए, भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठाकर भी पुर्तगाल की सक्रिय सहायता द्वारा, पाकिस्तान ने अपने शत्रुभाव का परिचय दिया है। भारत की भूमि पर पुर्तगाली बस्तियों का अस्तित्व भारत की सुरक्षा तथा अखण्डता के लिए पहले ही एक संकट है, किन्तु पाकिस्तान तथा पुर्तगाल के घृणित गठबन्धन से तो यह संकट कई गुना बढ़ गया है, जो भारत के दक्षिण-पश्चिम सीमांत के लिए कभी भी भयावह रूप ले सकता है।

४. भारत की उत्तरी सीमा भी पूर्ण निरापद नहीं। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की घोषणाओं के बावजूद कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत की स्वतन्त्रता को समाप्त कर उस पर कब्जा जमा रखा है। नेपाल के साथ हुए समझौते में भी चीन ने नेपाल में भारत की विशेष स्थिति का सम्मान नहीं किया। चीनी नक्शों में भारतीय प्रदेश का समावेश (जिसे बाद में 'भूल' कह कर समझाने का प्रयत्न किया गया), बर्मा की सीमा में चीनी सेनाओं का प्रवेश (जिसे 'धोखे से' हुआ बतलाया गया), और दक्षिण-पूर्व एशिया के छोटे-छोटे देशों में प्रवासी चीनियों की गतिविधियां भारत के लिए सतत सतर्क रहने का संकेत हैं।

५. कांग्रेस शासन राष्ट्रीय एकता का संरक्षण तथा संवर्धन करने में असफल रहा है। उत्तर-पूर्वी सीमा पर नागाओं का सशस्त्र उपद्रव, जिसे सेना के प्रयोग से इतने दिन बाद भी पूर्णतया शान्त नहीं किया जा सका, पृथक द्रविड़स्तान का आन्दोलन, जिसके संचालक किसी अन्य प्रान्तवासी को अपने राज्यपाल के रूप में भी सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तथा प्रान्त-पुनर्रचना के प्रश्न पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में हुए दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रव, जिनके मूल में भाषावाद, प्रांतवाद तथा सम्प्रदायवाद की संकुचित एवं संकीर्ण प्रवृत्तियां—जिनके लिए कांग्रेस की नीतियां ही उत्तरदायी हैं—निहित हैं, राष्ट्र शरीर में व्याप्त भयंकर रोग के स्पष्ट लक्षण हैं। रोग का ठीक ठीक निदान कर उसको जड़ से मिटाने का उपचार करने के बजाय कांग्रेस शासन ऐसी नीति अपना रहा है जिससे रोग थोड़े समय के लिए दबकर पुनः भीषण रूप में प्रकट होगा। विदेशी मिशनरियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियन्त्रित करने से इन्कार, मुस्लिम सम्प्रदायवाद को जीवित रखने तथा बढ़ावा देने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन और कम्युनिस्ट दल के साथ सांठगांठ, दलगत स्वार्थसिद्धि के लिए राष्ट्रहित के बलिदान का स्पष्ट उदाहरण है।

६. स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के आगमन से भारतीय जनता ने अपने लिए जिस स्वतन्त्र, सुखी तथा समृद्ध जीवन की आशा की थी, कांग्रेस के १० वर्षीय शासनकाल में वह निराशा में बदल गई है। नवजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है।

कांग्रेस शासन नागरिकों की अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है। "अधिक अन्न उपजाओ" की असफलता तथा रचनात्मक योजनाओं तथा अनाज की पैदावार बढ़ने के सरकारी दावों के बावजूद अनाज की कीमतें बढ़ी

हैं और यही स्थिति कपड़े की भी है। मकानों की कमी में कोई सुधार नहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण देश में अनिवार्य नहीं किया गया। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का व्यय-भार सर्वसाधारण के लिए दुर्वह हो गया है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की सुविधाओं से भारत के गांव, जहां ८२ प्रतिशत लोग रहते हैं, वंचित हैं।

७. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े-बड़े बांधों तथा भारी उद्योगों के निर्माण की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। किन्तु उसके लिए जनता को काफी मूल्य चुकाना पड़ा है। दूसरी योजना भी, जिसके ऊपर भारत के सम्पूर्ण भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है और जिसे सरकार ने अत्यधिक महत्वाकांक्षी घोषित किया है, अन्न, वस्त्र तथा बेकारी की समस्या को सुलझा नहीं सकेगी। इसमें भारत की परिस्थिति, हमारे सामर्थ्य तथा साधन-स्रोतों और जनता की आवश्यकताओं का पूरा विचार नहीं रखा गया है। फलतः करभार और मुद्रास्फीति से उत्पन्न मूल्य-वृद्धि के दोहरे पाटों में जनता पिसती जा रही है। कुटीर तथा छोटे उद्योगों को भारत के औद्योगीकरण का आधार बनाने तथा उनका विकास करने के लिए धन-विनियोग के स्थान पर शब्दों तथा भाषणों का ही बाहुल्य है।

८. किसान, मजदूर, कर्मचारी, अध्यापक, दुकानदार तथा व्यापारी सभी त्रस्त तथा पीड़ित हैं। किसान अपनी भरसक मेहनत करता है, उसकी मेहनत से पैदावार भी बढ़ती है; किन्तु पैदावार के साथ किसान का सुख नहीं बढ़ता; उल्टे उसकी मुसीबत बढ़ती है। जब तक अनाज खेतों, खलिहानों में रहता है, उसका भाव गिरता रहता है; किन्तु किसान के हाथ से निकल कर गोदामों में पहुंचते ही, उसकी कीमत चढ़ जाती है। कृषि-उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के बीच कीमतों का तालमेल न होने के कारण किसान अपनी चीज सस्ते भाव पर बेचने और अपनी आवश्यक वस्तुएं महंगे भाव पर खरीदने के लिए विवश होता है। जमींदारी-उन्मूलन के पश्चात् भी किसान के लगान में कमी न होने तथा अनेक नये-नये टैक्सों के लग जाने से किसान की कमर टूट रही है। भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मजदूरों की मजदूरी तथा भत्ते में वृद्धि होना तो दूर रहा, उनके सामने छंटनी तथा बेकारी का दैत्य मुंह बाए खड़ा है।

९. नगरों में रहने वाले मध्यमवर्गीयों की दशा और भी दयनीय है। आमदनी के साधन सीमित होने के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि से उन्हें गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

छोटे-छोटे दुकानदार, व्यापारी तथा उद्योग-सञ्चालक भी शासन की नीतियों के कारण परेशान हैं। बिक्रीकर सबके लिए अभिशाप है। दलगत स्वार्थ तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सहायता, ऋ-ण, यातायात की सुविधा तथा आयात-निर्यात के लाइसेन्सों की प्राप्ति में भी छोटे व्यापारियों तथा उद्योग सञ्चालकों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।

१०. बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन-उग्रतर होती जा रही है। करोड़ों व्यक्ति काम की खोज में मारे-मारे फिर रहे हैं और शासनाधीश काम देने के स्थान पर "आराम हराम है" के खोखले तथा अव्यावहारिक नारों से मन बहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में बेकारी बढ़ी है। द्वितीय योजना में ८० लाख लोगों को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। यदि योजना पूर्ण भी हो गई, जोकि साधनों तथा शिक्षित कर्मचारियों की कमी और जनोत्साह के अभाव में संदिग्ध जान पड़ता है, तो भी योजना की समाप्ति पर बेकारों की संख्या में कमी नहीं आएगी क्योंकि जितने बेकारों को काम मिलेगा, उनसे भी कहीं अधिक (९० लाख) नये बेकार तैयार हो जाएंगे।

शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी न केवल हृदयविदारक है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा है। जो शासन अपने पढ़े-लिखे नौजवानों के मन में भविष्य के प्रति आस्था तथा आत्मविश्वास का भाव पैदा नहीं कर सकता वह बहुत दिनों तक अपने लोकतंत्रीय स्वरूप को कायम नहीं रख सकता। राष्ट्र की तरुणाई के मनोभावों को सहानुभूतिपूर्ण अन्तःकरण से ठीक-ठीक समझकर उनकी आशंकाओं तथा अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार की कार्य-योजना बनाने के स्थान पर वर्तमान शासन ने उनके असंतोष को, जो यदाकदा विस्फोटक रूप धारण कर लेता है, लाठी तथा गोली के बल पर दबाने का प्रयास किया है।

११. स्वतन्त्रता के इन १० वर्षों में जनता की आवाज को कुचलने तथा अपने अलोकतांत्रिक निर्णयों को लादने के लिए कांग्रेस शासन ने अश्रु-गैस, लाठी-प्रहार तथा गोली-वर्षा का ऐसा खुलकर प्रयोग किया है उसके सामने अंग्रेजी-राज का १५० वर्ष का दमन-चक्र भी फीका पड़ गया है। शासनकर्त्ताओं में पुलिस-गोलीकाण्डों की अदालती जाँच की माँग को स्वीकार करने तक का साहस नहीं रहा है। लोकप्रियता की कमी को अधिकारों की वृद्धि से पूरा करने का असफल प्रयास चल रहा है। न्यायालयों के अधिकारों में कमी करने,

पुलिस को अधिक अधिकार-सम्पन्न बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने तथा विरोधी दलों की बढ़ती हुई शक्ति तथा प्रभाव को रोकने के लिए नज़रबन्दी कानून, सुरक्षा कानून तथा अन्य काले कानूनों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बलवती हो रही है।

१२. पुलिस प्रशासन में यदि सुधार हुआ है तो विरुद्ध दिशा में ही। स्वतन्त्रता के बाद जनता तथा पुलिस के बीच की चौड़ी खाई पटनी चाहिए थी और पुलिसदल का जनता के रक्षक, सहायक तथा सेवक के रूप में विकास होना चाहिए था। किन्तु पुलिस आज भी आतंक तथा उत्पीड़न का प्रतीक बनी हुई है। अपराधों का पता लगाने के लिए तीसरे दर्जे के तरीकों का अपनाना जारी है। फिर भी, अपराधों में कोई कमी नहीं हो रही है। शायद पुलिस के बजट तथा अपराधों की संख्या में होड़ लगी हुई है। बजट के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। ग्राम-वासी अपने को सर्वथा अरक्षित अनुभव करते हैं और नगरों का जीवन भी पूर्ण सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

गुप्तचर-विभाग विरोधी दलों के कार्यों पर नज़र रखने तथा उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों का पीछा करने में बड़ा तेज है, किन्तु विदेशी जासूसों तथा पंचमांगियों के भारत-विरोधी कार्य-कलापों तथा षड्यंत्रों का पता लगाने में उनकी योग्यता तथा क्षमता न जाने कहाँ चली जाती है।

१३. प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। मंत्रिगण भी उससे मुक्त नहीं हैं। व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए सरकारी पद तथा प्रतिष्ठा का खुला दुरुपयोग किया जाता है। मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की अदालती जाँच नहीं कराई जाती, अपितु उन्हें कांग्रेस का 'घरेलू मामला' समझकर दबा दिया जाता है। अपने प्रियजनों तथा परिवार-जनों को सत्ता में सहभागी बनाने के लिए नैतिकता तथा प्रशासकीय आवश्यकता को ताक पर रख दिया जाता है। इसके लिए जनसेवा आयोग की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं होता, बल्कि 'नियुक्ति के अधिकार' की दुहाई देकर उसे उचित ठहराने का प्रयत्न किया जाता है। इससे भी यदि काम नहीं बनता तो नये पद, यहाँ तक कि नये विभाग ही कायम किए जाते हैं।

इसके फलस्वरूप जहाँ प्रशासन का व्यय अनाप शनाप बढ़ गया है, वहाँ भ्रष्टाचार तथा अक्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। जब ऊँचे नेताओं का आचरण ही संदिग्ध हो तो अधिकारियों तथा कर्मचारियों से उच्चादर्श की क्या आशा की जा सकती है। ईमानदार व्यक्ति, यदि उसमें खुशामद का गुण नहीं

है, अपनी तरक्की के सारे रास्ते बन्द पाता है। नतीजा यह है कि प्रशासन की अक्षमता बढ़ रही है। सेवाएं पूर्णतया हतोत्साहित हो रही हैं। मंत्रियों के अनुचित हस्तक्षेप के कारण नीचे के स्तर पर खुद होकर काम करने तथा काम को अपना समझने की वृत्ति समाप्त हो गई है। कर्मचारी अधिकारियों का मुंह देखते हैं और अधिकारी मंत्रियों का, और मंत्री प्रधान-मंत्री के भ्रू-विलास पर अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। सम्पूर्ण प्रशासन एक व्यक्ति का पुजारी बन गया है।

१४. शासन में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बल पकड़ रही हैं। समाजवादी ढांचे के नाम पर सम्पूर्ण आर्थिक सामर्थ्य को केन्द्रित करने का प्रयत्न हो रहा है। सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी शासन द्वारा अधिकाधिक नियंत्रण तथा हस्तक्षेप की नीति बरती जा रही है। शिक्षा की स्वतन्त्रता सीमित करने का प्रयत्न हो रहा है और शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है। साहित्य, कला तथा विज्ञान के विकास को भी शासनाश्रित एवं शासनानुकूल बनाने का उद्योग हो रहा है। साधु-संतों एवं धर्म-मंदिरों पर भी शासन की गिद्ध-दृष्टि लगी है।

१५. इस विषम परिस्थिति में—जब बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विघटन से भारत की सुरक्षा, स्वतन्त्रता, एकता तथा अखण्डता के लिए संकट पैदा हो गया है और कांग्रेस के अवसरवादी, अधिनायकवादी, भ्रष्ट तथा अक्षम शासन से पीड़ित तथा संत्रस्त भारतीय जनता एक नया मार्ग खोज रही है, भारतीय जनसंघ भारत की सर्वांगीण प्रगति का एक विधायक तथा ठोस कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है।

यह कार्यक्रम किसी वाद विशेष पर आधारित नहीं है। इसके निर्धारण में भारतीय प्रतिभा तथा परम्परा और राष्ट्र-जीवन की वर्तमान स्थिति—हमारे सामर्थ्य तथा न्यूनताओं का—पूरा ध्यान रखा गया है। इसके द्वारा हम न केवल अन्न, वस्त्र तथा मकान की समस्या का समाधान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगे, अपितु भारत का उसकी संस्कृति और मर्यादा के आधार पर एक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जनतन्त्र, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, बनाने में सफल होंगे। यह कार्यक्रम भारत को सुदृढ़, तथा सम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाएगा जो दूसरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा और विश्वशान्ति के स्थापनार्थ राष्ट्रसंघ में समुचित रीति से प्रभाव डाल सकेगा।

यह कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

राजनीतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय सुरक्षा

१६. भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उच्चतम प्राथमिकता देगा। देश के विस्तार तथा जनसंख्या के अनुरूप सैन्य-बल में पर्याप्त वृद्धि की जायगी और उसे आधुनिकतम शस्त्रों से सज्ज किया जायगा। राष्ट्र को मानसिक तथा शारीरिक दोनों दृष्टियों से सुरक्षार्थ-सन्नद्ध करने के लिये जनसंघ निम्नलिखित उद्योग करेगा :

(१) राष्ट्र की सुरक्षा के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा की व्यवस्था।

(२) सुरक्षा सेनाओं की सभी शाखाओं का स्वरूप और अन्तःस्फूर्ति दोनों दृष्टियों से पूर्ण राष्ट्रीयकरण।

(३) शस्त्र-सम्बन्धी उद्योगों की द्रुततर स्थापना।

(४) एक विशाल प्रादेशिक सेना का संगठन।

भारतीय सीमाओं की देखभाल के लिए एक विशेष पुलिस दल संगठित किया जाएगा जिसका दायित्व केन्द्र पर होगा। अंतः प्रवेश तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिये कड़े कदम उठाये जायेंगे। गुप्तचर विभाग को अधिक सक्रिय एवं सक्षम बनाया जायेगा जिससे विदेशी गुप्तचरों तथा पंचमांगियों पर कठोर दृष्टि रखी जा सके और उनके राष्ट्र-विरोधी षड्यन्त्रों को पकने से पूर्व ही विफल किया जा सके।

राष्ट्रीय एकता

१७. राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की रक्षा के लिये, जिसके बिना न तो स्वतन्त्रता को ही कायम रखा जा सकता है और न आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक पुनर्निर्माण की महती योजनाओं को ही कार्यान्वित किया जा सकता है, जनसंघ द्विविध कार्यक्रम अपनायेगा।

(१) हिंदु समाज के अन्तर्गत ऊंचनीच, छुआछूत आदि हटाकर एकात्मता सम्पादन करना, और

(२) हिन्दु के अतिरिक्त सभी जनों को भारतीय संस्कृतिमूलक करके उनमें राष्ट्रभावापन्न करना।

भारतीय ईसाईयों को विदेशी मिशनरियों के अराष्ट्रीय प्रभाव से मुक्त करने के लिए नियोगी-समिति तथा रेगे-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायगा।

राष्ट्रीय एकात्मता के मार्ग में वर्तमान संविधान बाधक है जिसमें संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और भारत को "भारतीय संघ" तथा प्रान्तों को "राज्यों" की संज्ञा देकर उनके मध्य अधिकारों का इस ढंग से वितरण किया गया है जिससे प्रान्तों में केन्द्र के प्रतिस्पर्धी होने का भाव जागृत होता है। जनसंघ संविधान में संशोधन कर भारत को एकात्मक राज्य घोषित करेगा।

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण

१८. किन्तु जनसंघ की परिकल्पना के एकात्मक शासन में राजनीतिक शक्ति को केन्द्रित नहीं होने दिया जायेगा। जनसंघ जनतंत्र में विश्वास करता है; अतः प्रत्येक जन को शासन में भागीदार बनाने के लिये यह राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करेगा।

ग्राम-पंचायतें, नगरपालिकायें, निगम तथा अन्य स्थानीय संस्थायें जो जन-साधारण को विकेन्द्रित शासन का अवसर प्रदान करती हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च अधिनियम-संविधान में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगी और उसी से शक्ति ग्रहण करेंगी। स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों तथा आय-स्रोतों को आश्वस्त तथा उनमें वृद्धि की जायगी जिससे वे अपने दायित्वों का उचित रीति से निर्वाह कर सकें।

ग्राम-पंचायतों को ऊपर से न लाद कर जन-सहयोग द्वारा नीचे से ही विकसित किया जायेगा। दलबंदी तथा जातिवाद को जो वर्तमान पंचायत-व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है, न पनपने देने के लिये पंचायत की स्थापना सर्वसम्मति से करने की प्राचीन पद्धति को प्रचलित किया जायेगा। तद-नन्तर निर्वाचन गुप्त मतदान से होगा। पंचायतों को भूमि-कर में से एक निश्चित धनराशि प्रदान की जायेगी जिससे उन्हें अनुदानों पर निर्भर न रहना पड़े।

विधान-परिषदों की समाप्ति

१९. वर्तमान विधान परिषदें दूसरे सदनों के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हुई हैं। जनसंघ उन्हें समाप्त करेगा

आधारभूत स्वतंत्रताओं का संरक्षण

२०. जनसंघ भारतीय जन की आधारभूत स्वतंत्रताओं, बोलने, लिखने, संगठन बनाने तथा अपने विचारों का प्रचार करने के मौलिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण करेगा।

वर्तमान शासन ने जनाधिकारों को कुंठित तथा सीमित करने के लिये

जो जन-सुरक्षा अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम तथा प्रेस अधिनियम बनाये हैं, जनसंघ उनको अविलम्ब रद्द कर देगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७, १०८, १०९, १४४ तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा १२४ ए तथा १५३ में ऐसे संशोधन करेगा जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिये उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

प्रशासन में सुधार

२१. जनसंघ प्रशासन को नौकरशाही, लालफीताशाही, अक्षमता, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार के वर्तमान दोषों से मुक्त करने के लिये उसके ढाँचे में आमूल परिवर्तन करेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जो खाई आज विद्यमान है और जो अधिकारियों में अहम्मन्यता तथा कर्मचारियों में हीनता का भाव पैदा करती है, उसे पाटा जायेगा और सभी के अन्तःकरण में राष्ट्र निर्माण के महान् दायित्व में सहभागी होने का गौरव जागृत किया जायेगा। शासन के अस्थायी विभागों में काम करनेवाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जायगा और विभागों के समाप्त होने पर इन कर्मचारियों को अन्यत्र स्थान देने का दायित्व शासन पर होगा।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को अधिक अधिकार सम्पन्न किया जायेगा और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की जायेगी

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार न्याय, स्वास्थ्य, वन तथा इंजीनियरिंग को "अखिल भारतीय सेवायें" (इण्डियन सर्विस) संगठित की जायेंगी।

प्रशासन-व्यय में बचत

२२. प्रशासन के व्यय में, जो गत वर्षों में कई गुना हो गया है, कमी करने के लिये जनसंघ कठोर कार्यवाही करेगा। भारतीय जनता निर्धन है, उसके पसीने की गाढ़ी कमाई की एक-एक पाई को उसी के हित में व्यय किया जायेगा, किसी शान-शौकत पर नहीं। सादगी, मितव्ययिता और मितव्ययिता का भारतीय आदर्श राष्ट्रपति-भवन से लेकर प्रशासन के निम्नतम स्तर तक और गांव के कार्यालयों से लेकर विदेश-स्थित भारतीय राजदूतावासों तक प्रस्थापित होगा।

इस संबंध में मंत्रियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा। अपने व्यक्तिगत आचरण से उन्हें जनता के सम्मुख उदाहरण रखना होगा। जनसंघ का यह

विश्वास है कि यदि जनसाधारण को मितव्ययिता तथा सादगी के लिये प्रेरित करना है तो मंत्रियों को ५००) रु० से अधिक वेतन नहीं लेना चाहिए और उनकी संख्या कम-से-कम होनी चाहिए।

जनसंघ श्रमिक-वर्ग के जीवन स्तर को सामान्य जन के स्तर के अधिक निकट लाने के लिये, मास की अधिकतम मर्यादा २००० रुपये प्रतिमास निर्धारित करेगा। किसी भी सरकारी का वेतन १०० रुपया मास से कम न होगा।

सस्ता और सुलभ न्याय

२३. न्याय को सस्ता, सर्वजनसुलभ तथा शीघ्रतर बनाया जावेगा। इस दृष्टि से उच्च न्यायालयों की बेंचें समाप्त करने का सुझाव अनुपयुक्त है। जनसंघ न्याय शुल्क में कमी करेगा और न्याय को जनसाधारण की पहुँच तक ले-जाने के लिये चलते-फिरते न्यायालयों की स्थापना करेगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से सब स्तरों पर पृथक किया जायेगा। जनसंघ न्यायाधीशों के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के विरुद्ध है और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करेगा। सरकारी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी जायेगी।

आर्थिक कार्यक्रम

आर्थिक जनतंत्र की स्थापना

२४. जनसंघ का उद्देश्य भारत को एक आर्थिक जनतंत्र बनाना है जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण के लिये कोई स्थान नहीं होगा और हरेक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर तथा स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जनसंघ देश की वर्तमान आर्थिक नीति में आमूल परिवर्तन करेगा। यह परिवर्तन भारत की मूल प्रकृति तथा वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप होना। भारत की परिस्थिति रूस तथा अमेरिका दोनों से भिन्न है। यहाँ मनुष्य अधिक है और साधन कम है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ है। पैसा मात्र के लिए व्यापारों की कमी है। अतः रूस अथवा अमेरिका का अनुकरण भारत के लिये हितावह नहीं हो सकता।

नई अर्थ-व्यवस्था

२५. जनसंघ भारत की परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप एक नई अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें व्यक्तिगत प्रयत्नों के लिये पूर्ण अवसर

रहेगा, किन्तु आर्थिक सामर्थ्य को कुछ हाथों में केन्द्रित नहीं होने दिया जायेगा, साथ ही राज्य को भी अनावश्यक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। व्यक्तिगत पूंजीवाद तथा राजकीय पूंजीवाद से बचने का यही वास्तविक जनतंत्र की स्थापना का यही सर्वोत्तम मार्ग है।

जनसंघ के आर्थिक कार्यक्रम का तात्कालिक उद्देश्य द्विविध होगा—(१) देश की अन्न, वस्त्र, निवास तथा बेकारी और विषमता की समस्या को सुलझाना, और (२) देश को सुदृढ़, उत्पादक तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना।

प्रत्येक व्यक्ति को काम

२६. भारत की सब से बड़ी पूंजी उसका जनबल है। आर्थिक नवनिर्माण का आधार यही जनबल होगा। इसे जाग्रत करने के लिये जनसंघ प्रत्येक व्यक्ति के लिये काम की व्यवस्था करेगा। कर्म करने का अधिकार मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। जनसंघ आजीविका के लिये कर्म के अधिकार को संविधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित करेगा। जिन नागरिकों के लिये काम की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी उनके उदरभरण का दायित्व शासन पर होगा।

उत्पादन-प्रणाली में परिवर्तन

२७. कृषि तथा उद्योग संबंधी पैदावार की वृद्धि के सम्बन्ध में सब एकमत हैं। जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, उसका वितरण कैसे होगा और समुचित वितरण के अभाव में निर्धनता तथा विषमता कैसे मिटेगी? किन्तु पैदावार की वर्तमान प्रणाली भारत के लिये अनुपयुक्त है। इसमें पैदावार तो बढ़ती है, किन्तु पैदा करनेवाले हाथ घट जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है, कि घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण बढ़ी हुई पैदावार के लिये देश के भीतर बाजार नहीं मिलता। पैदावार के साथ बेकारी भी बढ़ती है। पंचवर्षीय योजनाओं के चलते बेकारी में वृद्धि के यही मुख्य हैं।

जनसंघ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करेगा और अधिक उत्पादन के साथ अधिक व्यक्तियों द्वारा उत्पादन पर बल देगा। इस दृष्टि से जनसंघ कृषि के यंत्रीकरण को तथा औद्योगिक क्षेत्र में समय तथा श्रम की बचत के लिये अपनाये जा रहे उपायों को, जिनका परिणाम बेकारी की वृद्धि में होगा, निरुत्साहित करेगा।

आर्थिक सामर्थ्य का विकेन्द्रीकरण

२८. सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिये काम की व्यवस्था करने और श्रम तथा

पूंजी के एकत्रीकरण से उत्पन्न बुराइयों से बचने के लिये जनसंघ आर्थिक सामर्थ्य का विकेन्द्रीकरण करेगा। सम्पूर्ण देश में छोटे, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का जाल फैलाया जायेगा। छोटे और बड़े उद्योग-धंधों के मध्य चल रही प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिये उनके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा। आर्थिक ढांचे का आधार छोटे उद्योग होंगे, अतः बड़े उद्योगों को उनके अनुसार स्वयं को ढालना होगा।

छोटे उद्योगों के विकास के लिये निम्न साधन उपयोग में लाये जायेंगे:—

(१) नई छोटी मशीनों तथा कलों का निर्माण जो कुटीरों तथा ग्रामों में चल सकें और माल के स्तर तथा उत्पादनकर्ता की आय में वृद्धि कर सकें।

(२) ग्रामों में औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना जिनमें श्रमिकों को अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा दी जा सके।

(३) छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिये बाजार सुरक्षित करना।

(४) संयुक्त तथा सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

जनसंघ हाथ करघा उद्योग को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगा। वर्तमान परिस्थिति में हाथकरघों के स्थान पर बिजली से करघे लगाने की नीति अनुपयुक्त है। हाथकरघा उद्योग के लिए सस्ते तथा सुलभ सूत की प्राप्ति के लिए सहकारी सूती मिलों की स्थापना की जायेगी।

आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

२९. जनसंघ की नीति आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की है। अन्य सभी उद्योगों को सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हुये शासन के निरीक्षण, नियमन तथा नियंत्रण के आधीन विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिये।

अधिकाधिक उद्योगों को राज्य के स्वामित्व तथा प्रबन्ध में लेने की वर्तमान प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिये ही घातक नहीं, प्रत्युत आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अनुपयुक्त है। राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अनुभव बड़ा कटु तथा निराशाजनक है। सार्वजनिक धन का अपव्यय तथा जन साधारण के प्रति उपेक्षा—राष्ट्रीयकृत उद्योग की यही दो विशेषतायें होगई हैं। जनसंघ निजी उद्योगों में अनुचित लाभ उठाने की वृत्ति को नियंत्रित करने तथा आर्थिक नवनिर्माण के लिये आवश्यक धन जुटाने के लिये शासन को अधिक अधिकार देने का विरोधी नहीं, किन्तु वह पूर्ण राष्ट्रीयकरण को अनुपयुक्त समझता है। जनसंघ सड़क

यातायात, बीमा तथा बैंकों को राज्य के स्वामित्व में लेने की नीति से असहमत है।

विदेशी उद्योगों का भारतीयकरण

३०. खान, चायबागान, कॉफी, रबर आदि उद्योगों के संबंध में जो अधिकांशतः विदेशियों के हाथों में हैं, जनसंघ की नीति उनका भारतीयकरण करने की है। इस दृष्टि से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का, जिनका अधिकांश उत्पादन विदेशी कम्पनियों से ही होता है, अविलम्ब भारतीयकरण किया जायेगा। अन्य सभी विदेशी कम्पनियों की कम-से-कम ⅔ (दो तिहाई) पूंजी भारतीय होनी चाहिये, और न केवल कर्मचारी अपितु विशेषज्ञ भी भारतीय होने चाहिएं।

जनसंघ विदेशी कम्पनियों के लाभ को देश के बाहर भेजने की अधिकतम मर्यादा निश्चित करेगा।

श्रम का प्रबन्ध तथा लाभ में साझा

३१. जनसंघ मजदूरों को उद्योग के प्रबंध तथा लाभ में साझीदार बनायेगा। इस दृष्टि से राष्ट्रीयकृत उद्योगों तथा निजी उद्योगों के निगमों तथा संचालकमण्डलों में उनके उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी।

मजदूर संगठनों को प्रोत्साहन

३२. मजदूरों में कर्तव्यों के प्रति निष्ठा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उनका सुदृढ़ संगठन आवश्यक है। जनसंघ मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करेगा और प्रत्येक मजदूर को किसी न किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मजदूर संगठनों की मान्यता के नियमों में परिवर्तन किये जायेंगे। किसी संगठन के पंजीकृत होते ही उसे स्वतः मान्यता प्राप्त हो जायेगी।

स्थायी वेतन-आयोग की नियुक्ति

३३. मजदूरों की वेतन-दर निर्धारित करने के लिये एक स्थायी राष्ट्रीय वेतन-आयोग की नियुक्ति की जायेगी, जो जीवनयापन के माप के अनुरूप समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम आय का ध्यान में रखते हुए वेतन निश्चित करेगा। किसी भी मजदूर का न्यूनतम वेतन आज की परिस्थिति में १०० रु० प्रति मास से कम नहीं होना चाहिये।

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा

३४. मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य पर होगा। मजदूरों की तब तक छंटनी नहीं की जाएगी जब तक उनके लिये दूसरे काम की व्यवस्था नहीं की जाती। खतरे का काम करने वाले मजदूरों को अतिरिक्त भत्ता दिया

जायेगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। बीमा तथा वृद्धावस्था के लिये भी समुचित प्रबन्ध किया जायेगा।

समान काम के लिये सबको समान वेतन मिलेगा। महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। गर्भवती महिला मजदूरों के लिये दो मास के सवेतन अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिये।

शिक्षित बेकारों को काम

३५. शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी के निराकरण के लिए जनसंघ विशेष उद्योग करेगा। शिक्षापद्धति में परिवर्तन तथा प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के व्यापक प्रबन्ध से शिक्षित बेकारों की संख्या में कमी होगी। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा छोटे, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों की स्थापना से शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी दूर की जा सकेगी।

आर्थिक समता और वित्त-संचय

३६. आर्थिक विषमता को दूर करने और विकास के लिए वित्त-संचय करने के लिये जनसंघ व्यक्तिगत आय की अधिकतम मर्यादा आज के मूल्यों के अनुसार २००० (दो हजार) रु० प्रतिमास निर्धारित करेगा। जनसंघ सभी नागरिकों के जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देता है और आज की परिस्थिति में न्यूनतम आय १०० रु० प्रतिमास निर्धारित कर यह प्रयत्न करेगा कि वह निरन्तर बढ़ती रहे, जिससे निकट भविष्य में न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात १ : १० का रह जाए।

आय की अधिकतम मर्यादा से ऊपर धन दान, कर, अनिवार्य ऋण अथवा विनियोजन के रूप में विकास-कार्य के लिए प्राप्त किया जायगा।

स्वदेशी का पुनर्जागरण

३७. उद्योगधंधों के विकास तथा विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जनसंघ स्वदेशी के मंत्र का पुनर्जागरण करेगा। उपभोग्य वस्तुओं, विशेषकर शृंगार और प्रसाधन की वस्तुओं के आयात पर कठोर नियंत्रण किया जायेगा। राष्ट्रीय उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिये समुचित संरक्षण प्रदान किया जायेगा। शासनकार्य में स्वदेशी का व्यवहार अनिवार्य होगा।

कर-पद्धति में सुधार

३८. जनसंघ कर-पद्धति में सुधार के लिए उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। इस दृष्टि से वह अप्रत्यक्ष करों को जिनका भार प्रमुखतया जन-साधारण के ऊपर

पड़ता है, अनुचित समझता है। न्यूनतम आय तक के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा।

जनसंघ बिक्री-कर को प्रतिगामी स्वरूप का मानता है और उसे पूर्णतया समाप्त कर देने के पक्ष में है। इस दिशा में प्रथम पग यह होगा कि (१) जीवन की आवश्यक वस्तुएं बिक्री कर से अविलंब मुक्त कर दी जाएंगी (२) कुटीर तथा ग्रामोद्योग से निर्मित वस्तुओं पर बिक्री-कर न लगाया जायगा (३) सब राज्यों में समान दरें लागू की जाएंगी (४) बिक्री-कर एक सूत्रीय होगा (५) अंतर्राज्यीय बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाएगा और (६) बिक्री-कर यथासंभव उत्पादन-केन्द्रों पर ही संग्रहीत किया जाएगा।

जनसंघ जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन-कर लगाने का विरोधी है। इस दृष्टि से मोटे कपड़े पर बढ़ाया गया उत्पादन कर रद्द कर दिया जायगा। कर चुराने वालों के विरुद्ध जनसंघ कठोरतम दण्ड की व्यवस्था करेगा।

स्वावलंबन पर बल

३९. यद्यपि जनसंघ विदेशी आर्थिक सहायता का, यदि वह बिना किसी राजनीतिक शर्तों के प्राप्त हो, विरोधी नहीं है, किन्तु जनसंघ ने जिस आर्थिक ढांचे का चित्र रखा है उसमें विदेशी सहायता अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रभाव का आना स्वाभाविक है। अतः जनसंघ देश के आर्थिक उत्थान के लिये स्वावलम्बन पर बल देगा और राष्ट्रीय साधन-स्रोतों के अनुसार ही विकास योजनाओं का निर्माण करेगा।

भूमि-व्यवस्था में परिवर्तन

४०. खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर बनाने तथा ग्राम-समाज की पुनर्रचना के लिए जनसंघ भूमि-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेगा। भूमि जोतने वाले की होगी और कृषक तथा राज्य के बीच किसी मध्यस्थ को नहीं रहने दिया जाएगा। जमींदारी तथा जागीरदारी के उन्मूलन से निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जायगी।

कांग्रेस शासन के बहुप्रचारित भूमि-सुधारों के बाद भी किसानों, कृषि-मजदूरों और भूमिहीनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जनसंघ किसानों की बेदखली बन्द करेगा, बेदखल किसानों को उनकी भूमि वापस दिलाएगा, लगान तथा अन्य करों में कमी करेगा और भूमिहीनों को भूमि देने के लिए भूमि का पुनर्वितरण करेगा। वितरण का न्यूनतम तथा अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त अच्छी भूमि का क्रमशः ५ एकड़

तथा ३० एकड़ अथवा उसकी पैदावार के बराबर होगा। कृषि-मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाएगा।

उत्पादन-वृद्धि के लिये जनसंघ बोई हुई धरती पर पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन करने तथा बंजरभूमि को खेती योग्य बनाने पर बल देगा। किन्तु जनसंघ खेती के सामूहीकरण को भारत के लिये अनुपयुक्त समझता है।

कृषि तथा उद्योग का समन्वित विकास

४१. जनसंघ कृषि तथा उद्योग के समन्वित विकास पर बल देगा। कृषि-पैदावार तथा औद्योगिक पैदावार के बीच मूल्यों का तालमेल स्थापित किया जायेगा जिससे समाज के किसी भी वर्ग को मूल्यों के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न संकट का सामना न करना पड़े।

भूमि के भार को कम करने के लिये ग्रामों में कृषि के सहायक तथा पूरक उद्योगों की स्थापना की जायेगी तथा अन्य कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के विस्तार द्वारा ग्रामीणों के खाली समय के लिए काम की व्यवस्था की जायेगी।

ग्रामों की उन्नति के लिए जनसंघ निम्नलिखित कार्य करेगा।

(१) देशव्यापी आन्दोलन तथा उत्साहवर्धन द्वारा किसानों में अधिक अन्न उपजाने के लिये परिश्रम करने की भावना तथा चेतना उत्पन्न करना। (२) बढ़िया बीज तथा अच्छी खाद की व्यवस्था करना, गोबर को ईंधन के रूप में प्रयुक्त न करके खाद बनाने के काम में लाना और रासायनिक खाद के प्रयोग को निरुत्साहित करना। (३) खेती के लिये ट्रैक्टरों के प्रयोग को निरुत्साहित करना। (४) किसानों को अन्न के साथ-साथ साग-सब्जी तथा फल लगाने के लिये प्रोत्साहन देना और उसके लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। (५) ग्रामों में डेयरियां स्थापित करना जिनके द्वारा शुद्ध दूध, घी तथा मक्खन प्राप्त हो सके तथा जो ग्राम की आवश्यकता को पूरा करने के बाद नगरों को भेजा जा सके। (६) ग्रामों में सहकारी बैंकों की स्थापना करना तथा ग्रामजनों और उनकी फसलों तथा पशुओं के बीमे की प्रथा आरम्भ करना।

यातायात

४२. जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान देगा।

रेलवे में तीसरे दर्जे की वायु-अनुकूलित गाड़ियां चलाने के प्रचारात्मक तथा प्रदर्शनात्मक तरीकों के स्थान पर जनसंघ अधिक जनता-गाड़ियां चलाने,

लम्बी यात्रा करने वालों को बिना मूल्य सोने की सुविधाएं प्रदान करने तथा माल ढोने के लिए अधिक डब्बे जुटाने का प्रयत्न करेगा। अबतक उपेक्षित क्षेत्रों को रेलवे से सम्बद्ध किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। छोटे-छोटे स्टेशन के कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि का उचित प्रबन्ध हो सके, जनसंघ विशेष उद्योग करेगा। रेलवे में से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कृपलानी समिति के सुझावों को कार्यान्वित किया जाएगा।

रेलवे के भार को कम करने के लिए जनसंघ सड़क, जल एवं हवाई यातायात का विस्तार करेगा। प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने और प्रत्येक बड़े नगर को हवाई यातायात से सम्बद्ध करने का उद्योग किया जाएगा। मोटर व्हीकिल टैक्स की दरों में कमी करने तथा सम्पूर्ण देश में समान दर लागू करने का प्रयत्न होगा।

पटना से कलकत्ता तक गंगा नदी को जहाजरानी के लिए उपयुक्त बनाने की योजना तैयार की जाएगी। घाटों के प्रबन्ध में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी और उनका प्रबन्ध जल-नाविकों की सहायता से चलाया जाएगा।

पाकिस्तान तथा उससे उत्पन्न समस्याएं

पाकिस्तान के प्रति समसद्व्यवहार की नीति

४३. भारत का विभाजन एक भीषण भूल थी, जिससे न हिन्दुओं का लाभ हुआ है और न मुसलमानों का। भारत और पाकिस्तान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है, जो यह अनुभव करते हैं कि दोनों की भलाई और विश्वशांति की रक्षा के लिए विभाजन को समाप्त करना अनिवार्य है। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान की अधिकांश समस्याएं—काश्मीर, विस्थापितों का पुनर्वास, आर्थिक अव्यवस्था, सुरक्षा-व्यय में वृद्धि आदि विभाजन से ही उत्पन्न हैं और उनके स्थाई हल के लिये अखण्ड भारत की स्थापना आवश्यक है, जिसमें समस्त हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य मतावलम्बी समान अधिकारों तथा अवसरों का उपभोग करते हुए एक महान् राष्ट्र के निष्ठापूर्ण घटक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। स्पष्ट है कि ऐसे अविभाज्य भारत की रचना ज़ोर-ज़बरदस्ती या बल-प्रयोग से नहीं की जा सकती। इसके लिए लोगों के दिलों और दिमागों को बदलना होगा। जनसंघ का सांस्कृतिक एकीकरण का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रेरित है।

४४. किन्तु जब तक पाकिस्तान का पृथक् अस्तित्व है, जनसंघ उसके प्रति असहयोग की नीति का पालन करेगा। आज तक बरती गई तुष्टीकरण की नीति से पाकिस्तानी नेताओं की भारत-विरोधी प्रवृत्तियों को बल ही मिला है। जनसंघ ऋण की वसूली, निष्क्रांत सम्पत्ति, नहरी पानी आदि प्रश्नों पर पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की रियायत करने के विरुद्ध है। जब एक बार पाकिस्तान के नेता भारत को अपना "एकमेव शत्रु" घोषित कर चुके हैं, तो उन्हें अपने प्रति भारत के समान व्यवहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह पाकिस्तान की जनता का काम है कि वह ऐसे नेतृत्व को ठुकरा दे, जिसका आधार भारत के प्रति घृणा है और जो भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को युद्ध की लपटों में झोंकने को तैयार है।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की मुक्ति

४५. काश्मीर संविधान सभा ने जम्मू-काश्मीर प्रदेश के भारत का अभिन्न अंग होने के निर्णय की जो पुष्टि की है, जनसंघ उसका स्वागत करता है। भारत में जम्मू-काश्मीर का अधिमिलन स्थाई तथा अटूट है। काश्मीर में जनमत-संग्रह आदि की चर्चा तर्कहीन तथा अनावश्यक है।

जनसंघ का यह निश्चित मत है कि पाकिस्तान को काश्मीर के सम्बन्ध में बोलने का कोई अधिकार नहीं। वह आक्रमणकारी है और उसके साथ इसी रूप में व्यवहार होना चाहिए। वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर काश्मीर के विभाजन का सुझाव कायरतापूर्ण तथा राष्ट्र-हित विरोधी है। जनसंघ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पाकिस्तान के प्रति आक्रमणकारी के नाते कार्यवाही कराने के लिए प्रयत्नशील होगा और पाक-अधिकृत काश्मीर की मुक्ति के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय अपनायेगा।

४६. जनसंघ जम्मू-काश्मीर का पृथक् संविधान रखने का विरोधी है। इससे भारत और काश्मीर के बीच में द्वैत की भावना जीवित रहेगी जो पृथकतावादी तथा विघटनकारी मनोवृत्तियों को बढ़ावा देगी। जम्मू-काश्मीर शासन में कम्युनिस्टों का बढ़ता हुआ प्रभाव गम्भीर चिन्ता का विषय है। इससे पुनः ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जो काश्मीर तथा भारत दोनों के लिये भयावह सिद्ध हो। जम्मू-काश्मीर प्रदेश के भविष्य को, जिसके साथ भारत का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, सदा के लिए सुरक्षित बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रीति से संविधान के अन्तर्गत लाने के लिये संविधान की धारा ३७० को समाप्त किया जाय।

विस्थापितों का पुनर्वास

४७. कांग्रेस-शासन भारत-विभाजन के परिणामस्वरूप बेघरबार हुए व्यक्तियों के पुनर्वास में सफल नहीं हुआ। विभाजन के १० वर्ष बाद भी विस्थापित स्वयं को असहाय तथा अपने भविष्य को अनिश्चित पाते हैं।

जनसंघ इस प्रश्न को प्राथमिकता देगा और विस्थापितों के पुनर्वास तथा पाकिस्तान में छोड़ी हुई उनकी सम्पत्ति के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा। इस दृष्टि से जनसंघ निम्नलिखित उपाय करेगा :—

(१) छोटे दावों का भुगतान अविलम्ब किया जाएगा, (२) विस्थापितों के लिए निर्मित मकानों तथा दुकानों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा और उन्हें लागत मूल्य पर विस्थापितों को दे दिया जाएगा (३) अब तक वसूल किराए को मूल्यों में शामिल किया जाएगा (४) जो विस्थापित एक साथ पूरा मूल्य देने की स्थिति में नहीं होंगे उनसे यह ऋण के रूप में २० वर्ष की अवधि में आसान किश्तों में वसूल किया जाएगा (५) दावों की स्वीकृति के बाद विस्थापितों को दिए गए ऋण का ब्याज न लिया जाएगा (६) शासन द्वारा सहायता के रूप में दी गई ५००० रु० तक की राशि की वसूली रोक दी जाएगी (७) देहाती और शहरी विस्थापितों में कोई भेद नहीं किया जाएगा (८) जिन विस्थापितों के दावे नहीं हैं अथवा नाममात्र के दावे हैं उनके पुनर्वास का पूर्ण दायित्व सरकार लेगी (९) छिपी हुई निष्क्रान्त सम्पत्ति का पता लगाने के लिए सम्बन्धित कानूनों में संशोधन किया जाएगा और उसकी वापसी बन्द कर दी जाएगी।

पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्कासन

४८. कांग्रेस शासन पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के लिए सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा सम्मान का जीवन प्राप्त कराने में, जिसके लिए यह वचनबद्ध है, बुरी तरह विफल रहा है। आज वहां कोई हिन्दू सम्मान-पूर्वक जीवित नहीं रह सकता। जनसंघ पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के बलात् निष्कासन के विरुद्ध विश्व के जनमत को जागृत करेगा और विस्थापित हिन्दुओं के पुनर्वास के लिए पाकिस्तान से भूमि की मांग करेगा। प्रस्तुत परिस्थिति में उनके पुनर्वास को सुलभ बनाने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में उपार्जन की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

पूर्वी बंगाल से भारत आने के इच्छुक हिन्दुओं के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा या प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। जो हिन्दू किसी प्रकार भारत में आ गए हैं उनको विस्थापित मानकर उनके पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा

४६. जनसंघ अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये संविधान द्वारा निश्चित १५ वर्ष की अवधि को, जो सन् १९६५ में समाप्त होगी, आगे बढ़ाने का विरोधी है। राष्ट्रनिर्माण में भाषा एक विधायक तत्व है जिसकी पूर्ति किसी विदेशी भाषा से नहीं होसकती।

५०. भारतीय जनसंघ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायेगा जिसके अन्तर्गत अधिकृत विद्वानों द्वारा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित एक सामान्य, पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की जायेगी और विश्व की समस्त प्रमुख भाषाओं के उपयोगी साहित्य को, विशेषतः उच्च शिक्षा के लिये आवश्यक ग्रन्थों को, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जायेगा।

५१. जनसंघ लोकभाषाओं को प्रोत्साहित करेगा। संविधान द्वारा मान्य भारतीय भाषाओं की सूची में सिन्धी का समावेश किया जायेगा। हिन्दी को जम्मू-काश्मीर में उसका उचित स्थान दिलाया जायेगा। सम्पूर्ण पंजाब में शासनकार्य और शिक्षा के लिए हिन्दी को मान्यता प्राप्त होगी। शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में जनसंघ की नीति इस प्रकार होगी :—

१. प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जायेगी।
२. माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतम शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जायेगी और हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा।
३. हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिये किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा।
४. संस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्य होगी।
५. हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की विभिन्न मान्यताप्राप्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्नातकों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित स्नातकों के समकक्ष माना जाएगा।

शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन

५२. जनसंघ देश की वर्तमान शिक्षापद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समन्वित विकास तथा जीवन में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना है जिससे शिक्षा व्यक्ति तथा

राष्ट्र के वास्तविक उत्थान का समर्थ एवं सशक्त साधन बन सके। शिक्षा को, न्यायपालिका की भांति, शासन के नियंत्रण तथा हस्तक्षेप से मुक्त किया जायेगा और शिक्षासंस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान एवं संरक्षण किया जायेगा।

प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को अध्ययन-कार्य की ओर आकृष्ट करने के लिए तथा अध्यापकों को सुखी और सन्तुष्ट जीवन की आश्वस्ति प्रदान करने के लिए उनके वेतन क्रम में वृद्धि की जाएगी और उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में जनसंघ का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा:—

(१) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सबके लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रबन्ध। (२) निर्धन किन्तु प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा तक की निःशुल्क व्यवस्था (३) प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा बहु-उद्देशीय शिक्षा का व्यापक प्रबन्ध (४) उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध के लिए सुविधायें। (५) प्रौढ़शिक्षा की व्यवस्था तथा ललित कलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन।

सब के लिए निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध

५३. जनसंघ सब के लिए निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध करेगा। ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सापद्धतियों को उचित मान्यता देते हुए आयुर्वेद का राष्ट्रीय चिकित्सापद्धति के रूप में विकास किया जायेगा और उसे स्वास्थ्य-संरक्षण का माध्यम बनाया जायेगा। प्रत्येक ग्राम में औषधालय की स्थापना जनसंघ का लक्ष्य होगा और इसकी पूर्ति होने तक सुदूर गांवों में चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने के लिए चलते-फिरते चिकित्सालयों तथा औषधालयों की व्यवस्था की जायेगी। आयुर्वेदिक औषधियों के शोध तथा निर्माण के लिये देश के विभिन्न भागों में अनुसन्धान-शालायें स्थापित की जायेंगी। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण की दृष्टि से देश को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जायेगा। क्षय-निरोधक टीके (बी. सी. जी.) की उपयुक्तता के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी। सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की दशा में सुधार किया जायेगा।

जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए जनसंघ इस बात की व्यवस्था करेगा कि सभी प्रकार के खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ शुद्ध रूप में मिल सकें। जनसंघ खाद्यान्न में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था करेगा।

पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधा

२४. सामाजिक दृष्टि से अविकसित तथा आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़ित एवं अभावग्रस्त वर्गों को समाज में पूर्ण समता का स्थान दिलाने के लिए जनसंघ विशेष प्रयत्न करेगा। मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई ऊँच-नीच तथा छूत-अछूत की दीवारें ढा दी जायेंगी और सार्वजनिक मन्दिरों तथा उपासना-गृहों में सबको बिना भेदभाव के दर्शन करने का अधिकार होगा।

दलित वर्गों तथा वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें भूमि-वितरण में प्राथमिकता दी जायेगी। उनके परम्परागत धंधों और हस्त-कलाओं को अधिक विकसित किया जायेगा। उनके लिए मकानों तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। वनवासी क्षेत्रों को नगरों से जोड़ने के लिए यातायात का विस्तार किया जायेगा।

हिन्दू-विरोधी कानूनों की समाप्ति

२५. हिन्दू समाज के संगठन का आधार संयुक्त परिवार की प्रणाली तथा अटूट दाम्पत्य सम्बन्ध है। ऐसे सभी कानून जो इस आधार में परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, हिन्दू समाज को विघटित तथा विशृंखलित बनायेंगे। इस दृष्टि से जनसंघ हिन्दू-विवाह कानून तथा हिन्दू-उत्तराधिकार कानून को रद्द करेगा।

महिलाओं को प्रगति का पूरा अवसर

२६. जनसंघ महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष उद्योग करेगा, जिससे वे घर, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का भली भांति निर्वाह कर सकें। जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होगा।

समाजगठन के वैधानिक तथा अनुभवसिद्ध आधारों में मौलिक परिवर्तन किए बिना जनसंघ महिलाओं के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों को अधिक व्यापक तथा वास्तविक बनाने के लिए प्रयत्न करेगा। स्त्री को श्वसुर के संयुक्त परिवार का सदस्य मानकर सम्पत्ति में पति के साथ अधिकार दिया जाएगा।

गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध

२७. गोहत्या के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रबल भावनाओं तथा गौ की आर्थिक उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनसंघ गोवंश की हत्या और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगा। गोहत्या निरोध समिति के

सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप जिनमें जनसंघ का पूर्ण सहयोग था, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार तथा पंजाब में गोवंश की हत्या के विरुद्ध कानून बने हैं। किन्तु अनेक प्रान्तों में यथा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, केरल, कर्नाटक, आंध्र तथा आसाम में इस प्रकार का कानून नहीं है जिसके फलस्वरूप गोवंश का द्रुतगति से ह्रास हो रहा है। जनसंघ भारतीय संसद द्वारा गोवंश को अवध्य घोषित कराने के लिये प्रयत्नशील होगा और गोवंश की उन्नति के लिये शासन तथा जन दोनों को प्रवृत्त करेगा।

जनसंघ प्रत्येक जिले में गोसदनों की स्थापना करेगा तथा गोशालाओं की दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान देगा। नगरों में दुग्ध के वितरण के लिए सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी और हर ग्राम में गोचरभूमि की व्यवस्था की जायगी। जंगलों में पशुओं के चरने पर लगे हुए प्रतिबन्ध रद्द कर दिये जायेंगे। जनसंघ जमाए हुए तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाएगा।

विदेश नीति

विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रहित

२८. जनसंघ की विदेश नीति का उद्देश्य भारत के उदात्त हितों का रक्षण तथा वर्धन करना होगा। शांति तथा युद्ध की व्यापक समस्याओं पर भी वह प्रमुखतया राष्ट्र के हिताहित की दृष्टि से विचार करेगा। किसी अन्य राष्ट्र के प्रति उसके आक्रमणात्मक इरादे नहीं हैं, किन्तु यदि राष्ट्रहित पर आंच आएगी तो भारत सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसकी रक्षा करेगा।

जनसंघ का यह सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट मत है कि जब तक न विश्व में राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक भेदभाव और उनकी मूल में निहित स्वार्थलिप्सा तथा अधिकार लिप्सा कायम है, स्थायी शांति की स्थापना संभव नहीं है। मिश्र तथा हंगरी की घटनाओं से यह कटु सत्य एक बार पुनः सम्मुख आ गया है कि दुर्बलता एक अभिशाप है और यदि विश्व में स्वतन्त्रता तथा सम्मान के साथ जीवित रहना है तो नैतिक बल-संवर्द्धन तथा आर्थिक सामर्थ्य के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। जनसंघ की विदेश नीति इन दोनों के त्वरित विकास में सहायक होगी।

इस दृष्टि से जनसंघ :—

(१) विश्व के दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहेगा और ऐसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय उलझन में नहीं फँसेगा जो राष्ट्र-हित से सीधी संबंधित न हो।

(२) सभी राष्ट्रों की सद्भावना तथा मित्रता के लिये उद्योग करेगा।

(३) सभी देशों की स्वतन्त्रता तथा समता पर आधारित विश्वशांति की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और उसके उद्देश्यपत्र में ऐसे संशोधन कराने का प्रयत्न करेगा, जिससे वह विश्व की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके और विश्वशांति तथा विश्वसहयोग का समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय उपकरण बन सके।

(४) भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य बनाने के लिए प्रयत्नशील होगा।

(५) पश्चिमी उपनिवेशवाद तथा साम्यवादी साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसे हुए देशों के स्वाधीनता-आन्दोलनों को अपना पूर्ण नैतिक समर्थन प्रदान करेगा और उन्हें स्वतन्त्र विदेश-नीति का अवलम्बन करने के लिए प्रेरित करेगा।

(६) अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों को दोनों शक्ति-गुटों से अलग रहकर अपना प्रभाव विश्वशांति तथा स्वतन्त्रता के पक्ष में डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनके आर्थिक विकास के लिए सम्मिलित प्रयत्न करेगा।

(७) पुर्तगाली बस्तियों की अविलम्ब मुक्ति के लिए सभी उपाय, जिनमें पुलिस कार्यवाही भी शामिल है, अपनायेगा।

(८) प्रवासी भारतीयों को उनके अपने रहने के देशों में समान नागरिकता के अधिकार दिलाने के लिए उद्योग करेगा।

आवाहन

२६. इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भारतीय जनसंघ भारत की ४० करोड़ जनता का आवाहन करता है।

आज हमारे सम्मुख एक महान अवसर उपस्थित है। हमें निर्णय करना है कि हम भारत को भारत के रूप में, उसकी सम्पूर्ण गौरव-गरिमा के साथ जीवित तथा विकसित देखना चाहते हैं अथवा उसे दूसरे देशों का कार्बन कापी बनाना चाहते हैं; हमें तय करना है कि हम व्यक्ति को राज्य की विशाल मशीन का एक पुर्जा मात्र बनाना चाहते हैं या पेट के साथ उसकी मन और आत्मा की भूख को भी मिटाना चाहते हैं।

'अंधकार से प्रकाश की ओर'—यही प्रगति का भारतीय आदर्श रहा है। इस आदर्श को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने के लिए और इसके अनुरूप भारत का नवनिर्माण करने के लिए भारतीय जनसंघ यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है।

इस कार्यक्रम के द्वारा बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक विघटन से देश की रक्षा होगी और आर्थिक दुर्व्यवस्था तथा सामाजिक अन्याय के पाटों में पिसने वाले जनसाधारण के लिए सुखी, समृद्ध तथा सुसंस्कृत राष्ट्रजीवन का शुभारम्भ होगा।

जनसंघ इस कार्यक्रम को लेकर चुनाव के मैदान में उतर रहा है। हमारे प्रतिनिधि लोकसभा तथा विधान सभाओं के भीतर इस कार्यक्रम को शासन द्वारा क्रियान्वित कराएंगे, और संसद तथा विधानमण्डलों से बाहर हम जनमत को जागृत तथा प्रशिक्षित कर इस कार्यक्रम के पक्ष में प्रचण्ड जनशक्ति खड़ी करेंगे।

गत ५ वर्ष का जनसंघ का कार्य साक्षी है कि जनता की अतृप्त आकांक्षाओं तथा कामनाओं को पूरा करने के लिए हमने सतत संघर्ष किया है और राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी संकोच का अनुभव नहीं किया। दमन और अत्याचार के बावजूद यदि जनसंघ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है तो केवल इसलिए कि जनसंघ भारत की जनता का संघ है, जो जनता से ही शक्ति ग्रहण करता है और जिसका सर्वस्व जनता के हित के लिए ही समर्पित है।

हमें विश्वास है कि देश की जनता—स्त्री और पुरुष—सन् ५७ के पावन प्रसंग पर प्राप्त भाग्यनिर्माण के इस महान् अवसर को हाथ से न जाने देगी। जनता, जनार्दन का रूप है। जनसंघ उसके निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करेगा।

जय भारत